दिनांक–13.11.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति एवं छूटे हुए टोलों में किये गए कार्यों, टंकी की सफाई, निविदा कार्य, MIS Entry इत्यादि की समीक्षा की गई, जिसमें महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न है:–

छूटे हुए टोला PHED/PRD:-

- समीक्षा के क्रम में सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि PHED/PRD के छूटे हुए टोलों के संबंध में प्रत्येक माह में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करते हुए, कार्य पूर्ण किये गये योजनाओं का जियो टैग, फोटोग्राफ्स (सभी अवयवों का) तथा संबंधित दस्तावेज MIS पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाय।

अनुपालन–सभी कार्यपालक अभियंता

- PHED/PRD के छूटे हुए टोलों जिनमें कार्यपालक अभियंताओं द्वारा माह सितंबर एवं अक्टूबर में पूर्णतः प्रविष्टि की गई उन योजनाओं की सूची संबंधित प्रमंडलों के जिला पदाधिकारी को जाँच हेतु प्रेषित की गई है। सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि जिला पदाधिकारी से मिलकर यह जाँच एक सप्ताह में पूर्ण कराकर प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) को प्रेषित करेंगे।

अनुपालन–मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)/सभी कार्यपालक अभियंता

- PHED/PRD के छूटे हुए टोलों में सभी क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि पूर्ण की जाने वाली योजनाओं में से प्रतिदिन 7–8 योजनाओं का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन MIS पोर्टल पर अपलोड करते हुए प्रतिदिन मुख्यालय को उपलब्ध कराएँगे।

अनुपालन–सभी क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता

निविदाओं की प्रगति की स्थिति

- सभी पूर्ण की गई निविदाओं में एकरारित की गई एकरारनामा में कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। जिन निविदाओं में एकरारनामा नहीं हुआ है उन निविदाओं में एकरारनामा एक सप्ताह के अंदर कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन–मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता

योजनाओं का निरीक्षण (MIS)

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि योजनाओं का निरीक्षण एवं MIS पोर्टल पर प्रविष्टि की प्रगति काफी धीमी पायी गयी है। उक्त के संबंध में सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि योजनाओं के निरीक्षण की प्रगति में तेजी लायें।

अनुपालन–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता,

CMO Surprise Inspection Summary

- माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से कराये जा रहे Surprise Inspection में पाये गये 08 अक्रियाशील योजनाओं को दो दिनों में क्रियाशील करते हुए ATR MIS Portal पर प्रविष्टि करना निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–संबंधित कार्यपालक अभियंता

CGRC

- CGRC पर प्राप्त शिकायतों जिनका समाधान 8 कार्य दिवसों में नहीं हो पाया है। उन संवेदकों पर पेनाल्टी लगाया जाय एवं जिन संवेदकों के कार्य में सुधार नहीं हो पाता है, उन संवेदकों के विरूद्ध एकरारनामा में विहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाय।

अनुपालन–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता

Physical Progress Component wise Summary-

- सभी कार्यपालक अभियंताओं को निदेशित किया गया कि निर्माणाधीन एवं क्रियान्वित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी Component wise (बोरिंग/मोटर पम्प/स्टेजिंग/हाउस कनेक्शन) MIS Portal पर प्रविष्टि में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता

Repair team

- समीक्षा के क्रम में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय में MIS Portal पर अपलोड किए गए रिपेयर टीम का मोबाइल नम्बर गलत पाया गया। इस संबंध में सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से सभी रिपेयर टीम के मोबाइल नम्बर का जाँच कर MIS Portal पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता

Requisition

- सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि आवंटन हेतु अधियाचना MIS पोर्टल के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता

अन्यान्यः–

- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता को निदेश दिया गया कि LOT Phase-2 से संबंधित प्राक्कलन को जिला पदाधिकारी से सत्यापन कराते हुए अगले शुक्रवार तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि शुक्रवार तक प्राक्कलन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) शनिवार को मुख्यालय में बैठक कर अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

अनुपालन–मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)

- सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि प्रत्येक शुक्रवार को आहूत विभागीय समीक्षात्मक बैठक में ससमय उपस्थित रहने हेतु संबंधित एजेंसियों को अपने स्तर से निदेशित करें। जो एजेंसियों द्वारा बार–बार निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, उनसे स्पष्टीकरण करते हुए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा के दौरान बैठक में भाग लेने वाले सभी संवेदकों को निदेशित किया गया कि जिनका निविदा निस्तार हो चुका है, एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा कर अपने क्षेत्र में आवंटित कार्य को प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।
- जिन एजेंसियों द्वारा कार्य प्रारंभ करने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, उनके विरूद्ध पेनाल्टी लगाने एवं अनुबंध के शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- सभी कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि एजेंसी के ऊपर जो पेनाल्टी लगाया गया है, उसका कार्यालय आदेश निर्गत कर MIS Portal पर प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें।
- सभी कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को निदेशित किया गया कि सभी क्रियाशील योजनाओं में क्लोरीनेटर, जल जाँच प्रतिवेदन और मीडिया चेंज का कार्य को समय पर पूरा किया जाए। मुख्यालय से जाँच दल द्वारा इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी।

अनुपालन–सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता

- कार्यपालक अभियंता, बिहारशरीफ द्वारा योजनाओं का एक सप्ताह में निरीक्षण नगण्य रहने के कारण मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र को कार्यपालक अभियंता, बिहारशरीफ से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–मुख्य अभियंता (पटना प्रक्षेत्र)

- कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम द्वारा योजनाओं का निरीक्षण नहीं करने के कारण अधीक्षण अभियंता, पटना अंचल को कार्यपालक अभियंता, पटना पश्चिम से स्पष्टीकरण पूछने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, पटना अंचल

- मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जाँच में बन्द/अकार्यरत पाए गए योजनाओं का ATR (फोटोग्राफ्स तथा Social Certificate) का सत्यापन सभी क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता त्रुटिपूर्ण ATR का संशोधन करा कर MIS Portal पर Upload कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन–सभी क्षेत्रीय अधीक्षण अभियंता,

- राज्य के सभी सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केन्द्रों में विभागीय कॉल सेन्टर का नम्बर जो लगाने का आदेश दिया गया था, जिसका प्रतिवेदन अप्राप्त है। अगले 15 दिनों के अंदर कार्य को पूर्ण कराने निदेश दिया गया। इस संबंध में अगली समीक्षा बैठक दिनांक–27.11.2026 को आहूत की जाएगी।

अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, जल गुणवत्ता (उ॰बि॰)

- CGRC में कार्यरत कनीय अभियंता को लखीसराय जिला के रिपेयर टीम से बात कर MIS पर की गई प्रविष्टि यथा मोबाइल नम्बर की जाँच करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन–अधीक्षण अभियंता, जल गुणवत्ता (द॰बि॰)

13/11

(बी॰ कार्तिकेय धनजी)
सचिव

ज्ञापांक–193/सा०को० /पटना,दिनांक–13/11/2026

प्रतिलिपिः–सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11

सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक–193/सा०को० /पटना,दिनांक–13/11/2026

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/अपर सचिव/मुख्य अभियंता (अनुश्रवण/दक्षिण बिहार/उत्तर बिहार/रूपांकण/यांत्रिक)/अधीक्षण अभियंता परियोजना कार्य अंचल/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/अधीक्षण अभियंता (जल गुणवत्ता) दक्षिण बिहार/आई॰टी॰मैनेजर/सभी संबंधित पदाधिकारी/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/11

सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार, पटना